

फर्द अहकाम

लय

जिला कलेक्टर
उदयपुर

बाबरू

विपक्षी

सचिन

स. मुकदमा

जा. १५

पत्रावली संख्या

32/24

सन

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएं जारी की गई

12/5/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी
अनुपस्थितता आधारित में अवर दिए जाकर
पत्रावली दिनांक 20/5/25 को पेश हो

जिला कलेक्टर
उदयपुर

20/5/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी
श्री फारूक मोहम्मद द्वारा नोटप्रेस कर निकाल
दिया कि प्रार्थी प्रकरण में कोई कार्यवाही
नहीं चाहता है। अतः प्रकरण की कार्यवाही
को इसी स्तर पर नोटप्रेस से बंद की
जावे।

अतः पत्रावली की कार्यवाही को इसी
स्तर पर नोटप्रेस से बंद की जाती है
प्रकरण फंसल शुमाट हो। बाद दिना शुमासी
कार्यवाही कप्त हो।

जिला कलेक्टर
उदयपुर

Not press.

फारूक
[अधिवक्ता बाबरू मोर]
Date 20/05/2025